राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

बनाम

ब्रिजेश सिंह @अरुण कुमार और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1750/2017)

09 अक्टूबर, 2017

[एस. ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जे. जे.]

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999, दिल्ली में लागू): धारा 1 (2), 2 (1) (डी), 2 (1) (ई), 3 और 4-धारा 3 के तहत अभियोजन-प्रतिवादी-आरोपी के खिलाफ दायर आरोप पत्र की वैधता-आरोप पत्र में दो प्राथमिकियों (एफ. आई. आर. संख्या 69/2007 और एफ. आई. आर. संख्या 122/2010) का उल्लेख किया गया है जो दिल्ली में दायर की गई थीं और छह अन्य मामलों का उल्लेख किया गया था, जिनका संज्ञान उत्तर प्रदेश की सक्षम अदालतों द्वारा लिया गया था-मकोका की धारा 3/4 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष अदालत से अनुरोध-विशेष अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोप तय करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि 2007 की एफ. आई. आर. संख्या 69 के अलावा कोई अन्य मामला नहीं था जिसे संज्ञान में लिया गया था। संगठित अपराध, जो धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है, का अर्थ है निरंतर गैरकानूनी गतिविधि-किसी गतिविधि को निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में मानने के लिए प्रासंगिक पूर्व शर्त यह है कि 10 साल के भीतर दो आरोप पत्र होने चाहिए और एक सक्षम अदालत ने ऐसे आरोप पत्रों का संज्ञान लिया है-संगठित अपराध किसी विशेष राज्य तक सीमित गतिविधि नहीं है-'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' की परिभाषा में 'सक्षम अदालतें' केवल दिल्ली की अदालतों तक ही सीमित नहीं हैं-इसलिए दिल्ली के अलावा राज्य की सक्षम अदालतों में

दायर आरोप पत्रों को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए-यदि दिल्ली के बाहर सक्षम अदालतों में दायर आरोप पत्रों और दिल्ली में दायर किए गए आरोप पत्रों के बीच सांठगांठ पर्याप्त रूप से स्थापित हो जाती है, तो मकोका के तहत अभियोजन को अतिरिक्त मामले के कारण अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

क़ानूनों की व्याख्याः

दंडात्मक कानून की व्याख्या-दंडात्मक कानूनों की व्याख्या के लिए सख्त निर्माण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है-हालाँकि, एक दंडात्मक प्रावधान की भी व्याख्या उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए जो विधायिका के विचार में था-मकोका को संगठित अपराध को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से लागू किया गया था-मकोका के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो मकोका-महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के उद्देश्य को आगे बढ़ाए।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के प्रावधानों की व्याख्या के लिए सख्त निर्माण के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए जो एक दंडात्मक क़ानून है। हालाँकि, एक दंडात्मक प्रावधान की भी व्याख्या उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए जो विधायिका के विचार में था। [पैरा 13] (913-सी]

रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र (2005) 5 एससीसी 294: (2005] 3 एससीआर 345; महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ललित सोमदत्त नागपाल और एएम: (2007) 4 एससीसी 171: (2007] 2 एससीआर 473; मुरलीधर मेघराज लोया बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) 3 एससीसी 684: (1977] 1 एससीआर 1-पर भरोसा किया गया।

1.2 संगठित अपराध सिंडिकेट्स द्वारा अनुबंध हत्या, जबरन वसूली, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन का संग्रह और धन शोधन आदि जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही थी। इस तरह के संगठित अपराध को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। सरकार ने महसूस किया कि संगठित अपराध सिंडिकेट के आतंकवादी गिरोहों के साथ संबंध हैं और वे राष्ट्रीय सीमाओं से परे मादक पदार्थों के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एम. सी. ओ. सी. ए. को संगठित अपराध को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। मकोका के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो मकोका के उद्देश्य को आगे बढ़ाए। [पैरा 14] [914-ए-सी]।

2.1 संप्रभु राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्रीयता के आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता है। सिविल या आपराधिक क़ानूनों पर उपरोक्त सिद्धांत के लागू होने के बीच कोई अंतर नहीं है। [पैरा 23] [917-डी]।

2.2 वर्तमान मामले में, यह जांच करने के लिए पर्याप्त है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य और दिल्ली राज्य के भीतर सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों के बीच कोई क्षेत्रीय सांठगांठ है, जहां प्रत्यर्थियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत प्रत्यर्थियों के अभियोजन को अतिरिक्त क्षेत्रीयता के आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता है यदि सांठगांठ पर्याप्त रूप से स्थापित है। [पैरा 24] [917-ई-एफ]।

2.3 संगठित अपराध जो एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है, का अर्थ है आर्थिक लाभ के लिए बल या हिंसा के उपयोग द्वारा की गई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि। एक प्रासंगिक पूर्व शर्त जिसे किसी भी गतिविधि को

निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में माने जाने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, वह यह है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ कम से कम दो आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए और एक सक्षम अदालत ने ऐसे आरोप पत्रों का संज्ञान लिया है। तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों के खिलाफ आठ आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिनमें से छह उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। नीचे दिए गए न्यायालयों का यह मानना सही नहीं है कि केवल दिल्ली के भीतर सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 25] [917-जी-एच; 918-ए-बी]।

2.4 संगठित अपराध किसी विशेष राज्य तक सीमित गतिविधि नहीं है जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (डी) में दिखाई देने वाले "सक्षम न्यायालय" शब्दों का प्रतिबंधात्मक अध्ययन अधिनियम के उद्देश्य को बाधित करेगा। यह कहना सही नहीं है कि विशेष अदालतों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों को ध्यान में रखना अस्वीकार्य है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मकोका को अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्यर्थियों के खिलाफ दायर आरोप पत्रों का अवलोकन, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए भरोसा किया जाता है कि उनके द्वारा संगठित अपराध किया जा रहा था, उन आरोप पत्रों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच स्पष्ट सांठगांठ को दर्शाता है जहां मकोका के तहत अभियोजन शुरू किया गया था। आर. एम. डी. चमरबागवाला के मामले में क्षेत्रीय सांठगांठ स्थापित करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाता है। यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य देश भर में गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने में लिप्त हैं, तो यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की अदालतों में दायर आरोप पत्रों और दिल्ली में दर्ज मकोका के तहत अपराध के बीच कोई संबंध नहीं है। इस तरह से, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में

सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' की परिभाषा में 'सक्षम न्यायालय' केवल दिल्ली के न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है। [पैरा 26] [918-सी-एफ]।

बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबागवाला [1957] एस. सी. आर. 874; द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम द स्टेट ऑफ बिहार [1958] एस. सी. आर. 1355; बिहार राज्य बनाम चारूसिला दासी (1959) सप। 2 एस. सी. आर. 619- पर निर्भर।

मैकलियोड बनाम न्यू साउथ वेल्स के लिए महान्यायवादी (1891) ए. सी. 455; न्यासी निष्पादक और एजेंसी कंपनी लिमिटेड बनाम संघीय कराधान आयुक्त (1933) 49 सी. एल. आर. 220; ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई की यूनियन स्टीमशिप कंपनी। लिमिटेड बनाम किंग (1988) 166 सीएलआर 1; ब्रोकन हिल साउथ लिमिटेड (लोक अधिकारी) बनाम कराधान आयुक्त (न्यू साउथ वेल्स) 50 सीएलआर। 337; क्रिस्टोफर स्ट्रैशेम बनाम मिल्टन डेली 221 यू. एस. 280 (1911); चुआ हान मोव बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 730 एफ. 1308 (1984); गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाम द रैले इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (1944) एफ. सी. आर. 229-संदर्भित।

3.1 यह सिद्धांत कि अपराध स्थानीय है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। दिल्ली के क्षेत्रों से बाहर उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कथित अपराधों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। वास्तव में, आरोप पत्र दाखिल करने के अस्तित्व को केवल प्रत्यर्थियों के पूर्ववृत्त का निर्धारण करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है। प्रत्यर्थी अभी भी सक्षम न्यायालयों में मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे जहां आरोप पत्र दायर किए जाते हैं। [पैरा 27 और 28] [919-बी-सी]/

राज्य, बॉम्बे बनाम नारायणदास मंगीलाल दयामे ए. आई. आर. 1958 जन्म 68 (एफ. बी.)-विभेदित।

भारत शांति लाल शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003)। एलआर. (आपराधिक) 947; महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह और अन्य। (2008) 13 एस. सी. सी. 5: [2008] 12 एस. सी. आर. 1083; ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम एन. सी. टी. दिल्ली राज्य 164 (2009) डी. एल. टी. 218; जयसिंह बनाम महाराष्ट्र (2003) बी. ओ. एम. सी. आर. (सी. आर. आई.) 1606-संदर्भित।

3.2 यदि एक राज्य में कोई अपराध किया जाता है, तो भी आरोपी पर दूसरे राज्य में मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि उस राज्य में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य के बाहर किए गए अपराधों को किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं माना जा सकता है। निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के गठन के उद्देश्य से सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ या तो अलग से या संयुक्त रूप से पंजीकृत संगठित अपराध के कम से कम दो आरोप पत्र होने चाहिए। दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। [पैरा 29 और 31] [919-डी; 920-जी-एच; 921-ए]।

क्रिस्टोफर स्ट्रैशेम बनाम मिल्टन डेली; रोचा बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 288 एफ. 545 (1961); चुआ हान मोव बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 730 एफ. 2डी। 1308 (1984); लोक अभियोजन निदेशक बनाम स्टोनहाउस [1977] 2 सभी ई. आर. 909); लॉसन बनाम फॉक्स एंड ऑर्स। [1974] 1 सभी ई. आर. 783-संदर्भित।

4.1 हालाँकि, दिल्ली में संगठित अपराध की एक गतिविधि मकोका के तहत अपराध के पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। दिल्ली में संगठित अपराध के

अभाव में, आरोपी पर दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। [पैरा 32] [921-बी-सी]

4.2 केवल एक गैरकानूनी गतिविधि जो तीन साल या उससे अधिक की न्यूनतम सजा के साथ दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होगी। एफ. आई. आर. संख्या.122/ 2010 आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 341, 506 के तहत दर्ज की गई थी। आई. पी. सी. की धारा 341 अधिकतम एक महीने की सजा के साथ दंडनीय है, हालांकि यह संज्ञेय अपराध है। आई. पी. सी. की धारा 506 एफ़. आई. आर. दर्ज करने और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख पर एक गैर-संज्ञेय अपराध था। इसलिए, एफ. आई. आर. संख्या.122 / 2010 को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 33) [921-सी-ई]।

4.3 एफ़. आई. आर. नं. 69/2007 एक 'एस' द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी का निवासी है। वह एक राजनेता और एक व्यवसायी हैं और जब वे दिल्ली की यात्रा पर थे, तो उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा उनकी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्थियों की अवैध गतिविधियों से संबंधित कई तथ्यों का उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है। 'एस' ने उत्तरदाताओं द्वारा जबरन वसूली की शिकायत की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 'एस' के मोबाइल फोन पर जो कॉल किया गया था, वह वाराणसी के एक पी. सी. ओ. का था। एफ. आई. आर. और एफ. आई. आर. No.69/2007 में आरोप-पत्र को बारीकी से पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर संगठित अपराध से संबंधित कोई आपराधिक गतिविधि नहीं थी और दिल्ली में सूचना देने वाले द्वारा शिकायत केवल मकोका लागू करने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। दिल्ली में प्रत्यर्थियों की किसी भी संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थियों द्वारा कोई संगठित अपराध नहीं किया गया है,

इसलिए मकोका के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 34) [921-एफ-एच; 922-ए-सी]।

मामला विधि संदर्भ

एईआर 1958 बोम 68 (एफबी)	विभेदित	पैरा 9
[2005] 3 एससीआर 345	विश्वास किया	पैरा 13
[2007] 2 एससीआर 473	विश्वास किया	पैरा 13
[1977] 1 एससीआर 1	विश्वास किया	पैरा 13
[1957] एससीआर 874	विश्वास किया	पैरा 21
[1958] एससीआर 1355	विश्वास किया	पैरा 21
[1959] पूरक 2 एससीआर 619	विश्वास किया	पैरा 21
[2003] बोम. एल आर(क्री) 947	संदर्भित	पैरा 28
[2008] 12 एससीआर 1083	संदर्भित	पैरा 28
164(2009) डीएलटी 218	संदर्भित	पैरा 28
[2003] बोम. सीआर(क्री) 1606	संदर्भित	पैरा 28

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 1750/2017

आपराधिक अपील संख्या 358/2014 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2015 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनूपम एन. प्रसाद, सुश्री महक जग्गी, पी. के. डे, के. एल. जंजीनी, बी. वी. बलराम दास, डी. एस. माहरा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

यू. आर. ललित, वरिष्ठ अधिवक्ता, अखंड प्रताप सिंह, सुश्री अदिति मित्तल, सुधीर नागर, चंद्र भूषण, सुशील करंजकर, के. एन. राय, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय एल. नागेश्वर राव, जे. द्वारा दिया गया।

अनुमति प्रदान की गई।

1. प्रत्यर्थियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (इसके बाद 'मकोका' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों से संबंधित एस. सी. No.139/2013 दिनांक 5 फरवरी, 2014 में विशेष न्यायाधीश मकोका, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था। अपीलार्थी-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मकोका की धारा 12 के तहत एक अपील दायर की जिसे 16 अप्रैल, 2015 को खारिज कर दिया गया था। पीड़ित, अपीलकर्ता-राज्य ने उपरोक्त अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. सहायक पुलिस आयुक्त (संक्षेप में एसीपी) श्री एस. के. गिरि से प्राप्त जानकारी के आधार पर 5 मार्च, 2013 को विशेष प्रकोष्ठ (एसबी) पीएस विशेष प्रकोष्ठ (एसबी) में प्राथमिकी संख्या 10/2013 दर्ज की गई थी। ए. सी. पी. ने मकोका की धारा 3/4 के तहत एक मामले के पंजीकरण और जांच के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव के अनुसार, पहला प्रतिवादी जिसे पी. एस., विशेष प्रकोष्ठ, नई दिल्ली में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 384,387,417,419,471,506 और 34 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत 8 अक्टूबर, 2007 की प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, वह हत्या के प्रयास, हत्या, जबरन वसूली, दंगे, धोखाधड़ी, जालसाजी और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (जिसे इसके बाद 'यू. पी. गैंगस्टर अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत अपराधों

के 20 मामलों में भी शामिल था। प्रतिवादी संख्या 1, 1985 से संगठित तरीके से अपराध सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था। आठ अपराधों के विवरण, जिनका संज्ञान दिल्ली के भीतर और बाहर सक्षम आपराधिक न्यायालयों द्वारा लिया गया था, का उल्लेख किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तरदाताओं ने अपनी नकली पहचान में हेरफेर किया और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से कई कंपनियों को शुरू किया। इन कंपनियों द्वारा कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था, जिनका विवरण प्रस्ताव में निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्यर्थियों और उनके संगठित अपराध सिंडिकेट की आपराधिक गतिविधियों की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, सूचना देने वाले ने महसूस किया कि मकोका के कड़े प्रावधानों को लागू करना आवश्यक था। प्रस्ताव में सिंडिकेट के 14 सदस्यों का विवरण दिया गया था और मकोका की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए उनमें से प्रत्येक की भूमिका की गहन जांच करने के लिए मंजूरी मांगी गई थी।

3. धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत एक अंतिम रिपोर्ट 26 सितंबर, 2013 को दायर की गई थी। संक्षेप में, आरोप पत्र की सामग्री इस प्रकार हैः

I. पहला प्रतिवादी 1985 और 2008 के बीच हत्या, हत्या का प्रयास, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, जबरन वसूली, दंगे आदि सहित विभिन्न प्रकृति के 39 अपराधों में शामिल था। कई मौकों पर, उस पर यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा था। अंततः उन्हें 23 जनवरी, 2008 को भुवनेश्वर से एफ. आई. आर. No.69/2007, पीएस स्पेशल सेल, दिल्ली के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

II. सुधीर सिंह द्वारा की गई एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 28 जुलाई, 2007 को शाम 7.15 बजे उन्हें

प्रत्यर्थियों का फोन आया, जिन्होंने सुरक्षा राशि के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने की मांग की थी। प्रत्यर्थियों ने उन्हें मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

III. सुधीर सिंह द्वारा दायर शिकायत पर 17 मई, 2010 को दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. की धारा 341,506 के साथ 34 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नरेंदर उर्फ मामू और विधायक सुशील सिंह, जो प्रतिवादी नंबर 1 के भतीजे थे, ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की धमकी दी थी। सुधीर सिंह के अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर में कार्यवाही में भाग ले रहे थे।

IV. उत्तरदाताओं के खिलाफ छह अन्य मामलों की अंतिम रिपोर्ट में एक संदर्भ है, जिसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के सक्षम न्यायालयों द्वारा लिया गया था। जो की तालिका मे दर्शाया गया है।

Sr. No.	ST No.	FIR No.,U/s, & PS	Name of Court & Date of cognizance & Charge	Name of Gang Member
1	303/09	26/91 & 98/91 dt.02/05/1991 U/s 147/148/149/302/307 IPC PS Bhavarcool, Distt. Gazipur	ASJ Anupati Ram Yadav, Distt. Gazipur (UP) 09/11/2012	Brijesh Singh Tribhuvan Singh Uma Kant Salander @ Papu
2	165/98	120/95 U/s 3(1) Gangster Act, PS Chobey Pur Varanasi (Original FIR & Rukka Missing from Court.)	Spl. Judge Gangster Act, Varanasi 21/11/08	Brijesh Singh Hari Singh @ Harday Narayar Singh
3	304/09	113/01 & 251/01/ U/s 147/148/149/307/302/427/120-B IPC, 7 Criminal Law Act, PS Mohamedabad	ASJ-3 Distt. Ghazipur 11/01/13	Brijesh Singh Tribhuvan Singh
4	125/07	8/04 & 09/04 U/s 147/148/149/307/427 IPC, 2/3 UP Gunda Act, PS Cantt. Sadar Lucknow	Spl. Judge Gangster Act, Lucknow 14/08/07	Brijesh Singh Tribhuvan Singh Ajay @ Guddu Sunil Rai Anand Rai
5	523/10	62/09 & 81/09 U/s 147/148/149/307/120-B IPC 7 Criminal Law Act. PS Lanka Varanasi	ASJ – 3 Varanasi Sh. Sanga M Lal 20/12/10	Tribhuvan Singh Brijesh Singh Sushil Singh Narender @ Mama Ajay Singh @ Khain Ayak.
6	9/13	112/90 & 232/90 U/s 147/148/149/323/379/427 IPC, PS Saidpur, Varanasi	CJM Saidpur, Gazipur Sh. Parksh Chand Shukla 25/08/12	Brijesh Singh Tribhuvan Singh Vijay Shankar Singh

4. कई आपराधिक मामलों में प्रत्यर्थियों और अपराध सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की संलिप्तता को दिनांकित आरोप पत्र में व्यापक रूप से निपटाया गया था, जिसका विवरण इस मामले के निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। हालाँकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में जाँच अभी भी जारी थी, लेकिन

प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। सक्षम प्राधिकारी से मकोका की धारा 23 (2) के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, विशेष अदालत से मकोका की धारा 3/4 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया था।

5. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विशेष अदालत ने कहा कि उसे मकोका की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसने प्रत्यर्थियों को आरोपमुक्त कर दिया। विशेष अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि 2010 की एफ. आई. आर. संख्या .69 को छोड़कर, कोई अन्य मामला नहीं था जिसे एम. सी. ओ. सी. ए. के आवेदन के लिए दिल्ली में एक सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। पीएस सब्जी मंडी में दर्ज 2010 की एफ. आई. आर. संख्या.122 प्रासंगिक नहीं थी क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ कोई आर्थिक लाभ या अन्य लाभ प्राप्त करने का कोई आरोप हो।

6. विशेष अदालत ने माना कि जिन आपराधिक मामलों का संज्ञान दिल्ली के बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा लिया गया था, उन्हें मकोका की धारा 2(1)(डी) के तहत जारी गैरकानूनी गतिविधि की सामग्री को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर सक्षम अदालतों द्वारा संज्ञान लिए गए छह मामलों के साथ-साथ सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को नजरअंदाज करते हुए, विशेष अदालत ने कहा कि केवल एक प्राथमिकी के आधार पर प्रत्यर्थियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विशेष अदालत ने आगे कहा कि आरोप पत्र में उल्लिखित आठ में से तीन मामले सुधीर सिंह के कहने पर थे और जिन अपराधों की शिकायत की गई है वे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच गैंगवार की प्रकृति के हैं।

7. अपीलकर्ता-राज्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों को आरोपमुक्त करने वाले विशेष न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर की अदालतों द्वारा दायर और संज्ञान में लिए गए आरोप पत्र मकोका के तहत मामला दर्ज करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के निष्कर्षों को मंजूरी दी कि एफ. आई. आर. संख्या.122/2010 एम. सी. ओ. सी. ए. के दायरे में आने वाले संगठित अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों के अनुसरण में नहीं थी। चूंकि दिल्ली में एक सक्षम न्यायालय द्वारा कम से कम दो आरोप पत्रों का संज्ञान लेने की आवश्यकता संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि विशेष न्यायालय के फैसले में कुछ भी गलत नहीं था।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि संगठित अपराध समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के लिए उद्देश्यों और कारणों के बयान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभिव्यक्ति पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने की परिभाषा में "सक्षम न्यायालय" सही नहीं है। उनके अनुसार, आपराधिक मामले जिनमें दिल्ली के बाहर की अदालतों द्वारा संज्ञान लिया गया था, वे मकोका के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि संगठित अपराध किसी राज्य के भीतर के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है और 'सक्षम न्यायालय' शब्द का प्रतिबंधात्मक अध्ययन उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए प्रतिमा को लागू किया गया था।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. आर. ललित ने आग्रह किया कि मकोका एक विशेष कानून है जो संगठित अपराध से

संबंधित है और जब तक धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के आवश्यक तत्व नहीं बनाए जाते हैं, तब तक उक्त क़ानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मकोका केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर संगठित अपराध का कोई अपराध नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थियों की कोई संपत्ति नहीं है और इसलिए, मकोका की धारा 4 आकर्षित नहीं होती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपराध स्थानीय है और राज्य के बाहर किया जाने वाला कुछ भी मकोका के तहत अपराध के पंजीकरण के लिए विचार का विषय नहीं हो सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया था कि मकोका, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक फैला हुआ है, का अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन नहीं हो सकता है। उन्होंने उक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में बॉम्बे राज्य बनाम नारायणदास मंगीलाल दयामे[1] में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। श्री ललित ने तर्क दिया कि एफ. आई. आर. संख्या 69/2007 में शिकायतकर्ता सुधीर सिंह वाराणसी का निवासी है और उसके अनुसार, वह एक व्यावसायिक यात्रा पर दिल्ली आया था और उत्तरदाताओं द्वारा फोन पर उसे धमकी दी गई थी। उक्त अपराध की जाँच के बाद, यह पाया गया कि वाराणसी, यू. पी. में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से कॉल किया गया था। उक्त एफ़. आई. आर. में उल्लिखित सभी पूर्ववर्ती घटनाएँ उत्तर प्रदेश राज्य की गतिविधियों से संबंधित हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिल्ली में कोई संगठित अपराध नहीं किया गया था और मकोका के तहत प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एफ. आई. आर. संख्या 69/2007 पर विचार नहीं किया जा सकता है। एफ. आई. आर. संख्या 122/2010 का उल्लेख करते हुए, श्री ललित ने प्रस्तुत

1 AIR 1958 Bom 68 (FB)

किया कि आई. पी. सी. की धारा 506 प्रासंगिक समय पर एक गैर-संज्ञेय अपराध था। चूंकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं था, इसलिए एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एफ. आई. आर. संख्या 122/2010 का कोई उपयोग नहीं है।

10. संगठित अपराध के खतरे ने नागरिक समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया और संगठित अपराध सिंडिकेट और गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता को महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा मान्यता दी गई जिसने "महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (जिसे इसके बाद" मकोका "के रूप में संदर्भित किया गया है) पारित किया। इसे 24 अप्रैल, 1999 से लागू किया गया था। उद्देश्यों और कारणों के बयान से यह स्पष्ट है कि संगठित अपराध में तेजी से वृद्धि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही थी। सरकार की राय थी कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त है और इसलिए संगठित अपराध के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है। 2 जनवरी, 2002 की एक अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मकोका के प्रावधानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक बढ़ा दिया।

11. इस स्तर पर, अधिनियम के उन प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है जो इस मामले में विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं। अधिनियम की धारा 5[2] में

---

2 **धारा 5 विशेष न्यायालयः**

1)

2)

3)

4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति से तुरंत पहले सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न हो।

मकोका के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 'विशेष अदालतों' के गठन का प्रावधान है। ये विशेष न्यायालय एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत दंडनीय सभी अपराधों की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं जो अधिनियम की धारा 6[3] में प्रदान किए गए स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए हैं। संगठित अपराध का अपराध अधिनियम की धारा 3[4] के तहत दंडनीय है। अधिनियम की धारा 4[5] में संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से गैर-जिम्मेदार संपत्ति रखने के लिए सजा का प्रावधान है। अधिनियम की

---

5) जहां किसी विशेष न्यायालय में कोई अतिरिक्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में, विशेष न्यायालय के कार्य को अपने और अतिरिक्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों के बीच वितरित करने और उसकी अनुपस्थिति या किसी अतिरिक्त न्यायाधीश की अनुपस्थिति की स्थिति में तत्काल कार्य के निपटारे के लिए भी प्रावधान कर सकता है।

3 धारा 6. **विशेष न्यायालय की अधिकारिता**

संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध का परीक्षण केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर यह किया गया था या मामले में धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत ऐसे अपराध का मुकदमा चलाने के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

4 **धारा 3. संगठित अपराध के लिए सजा**

(I) जो कोई भी संगठित अपराध का अपराध करता है,

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से अधिक नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन होगा।

2) जो कोई भी षड्यंत्र करता है या करने का प्रयास करता है या किसी संगठित अपराध या संगठित अपराध की तैयारी करने वाले किसी कार्य की वकालत करता है, उसे बढ़ावा देता है या जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन भी होगा।

धारा 2 (1) (ई)[6] में परिभाषित 'संगठित अपराध' का सीधा सा अर्थ है आर्थिक लाभ के लिए हिंसा का उपयोग करके की गई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि। 'अधिनियम की धारा 2 (1) (डी)[7] में 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' को उस समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, यदि यह तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है और यदि यह 10 साल की

---

3) जो कोई भी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को पनाह देता है या छिपाता है या पनाह देने या छिपाने का प्रयास करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से अधिक नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

4) कोई भी व्यक्ति जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

5) जो कोई भी संगठित अपराध करने से प्राप्त या संगठित अपराध सिंडिकेट निधि के माध्यम से अर्जित किसी भी संपत्ति को धारण करता है, वह एक ऐसी अवधि से दंडनीय होगा जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और न्यूनतम दो लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

5 **धारा 4. संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से गैर-जिम्मेदार संपत्ति रखने के लिए सजा**

यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति चल या अचल संपत्ति के कब्जे में है, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है, तो वह तीन साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है और न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने के अधीन जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा और ऐसी संपत्ति धारा 20 द्वारा प्रदान की गई कुर्की और ज़ब्त के लिए भी उत्तरदायी होगी।

संगठित अपराधी निस्संदेह कठोर अपराधी होते हैं। उनके पास अधिकांश आधुनिक हथियारों का कोई भंडार नहीं है। समाज में आतंकवाद फैलाकर धन उगाही करना उनका उद्देश्य है। वे समाज के कुलीन वर्ग को निशाना बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से, वे जो पैसा वसूल करते हैं वह असामान्य अनुपात का होता है। यह पैसा उचित कारणों पर नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए खर्च किया जाता है। इसलिए, कठोरतम सजा का प्रावधान करना आवश्यक है। अधिनियम में परिकल्पित दंड 3 से 10 वर्ष के कारावास की सजा है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। किसी को भी मारने वाले अपराधियों को मौत की सजा भी दी जा सकती है।

पूर्ववर्ती अवधि के भीतर अकेले या संयुक्त रूप से 'संगठित अपराध सिंडिकेट' के किसी सदस्य द्वारा किया गया है। एक अन्य आवश्यकता कम से कम दो आरोप पत्रों का अस्तित्व है जिनका सक्षम न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया गया है।

12. इस मामले में विचार के लिए जो बिंदु सामने आते हैं, वे हैंः

i) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" के गठन के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है, और

ii) क्या दिल्ली के भीतर किए जा रहे संगठित अपराध के किसी भी अपराध के बिना मकोका के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

इसलिए 3 से 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत अपराधियों की तुलना हाल ही में निरस्त किए गए टाडा अधिनियम के तहत अपराधियों से करना दिलचस्प होगा। दोनों अधिनियमों के तहत अपराधी दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं। टाडा के तहत अपराधी विघटनकारी गतिविधियों का लक्ष्य रखते हैं। वे राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा हैं। इसके विपरीत वर्तमान कानून के तहत अपराधी जबरन वसूली करने वाले हैं। इस कानून में उन लोगों को सजा देने का भी प्रस्ताव है जिनके पास अवैध तरीकों से संचित किसी भी प्रकार की संपत्ति है।

6 **धारा 2(1)(ङ)** "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा या हिंसा की धमकी या धमकी या जबरदस्ती, या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके, आर्थिक लाभ प्राप्त करने, या अपने या किसी व्यक्ति के लिए अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि अभिप्रेत है।

7**धारा 2(1)(घ)** "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ है कुछ समय के लिए कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, जिसे अकेले या संयुक्त रूप से एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में दस साल की पिछली अवधि के भीतर एक से अधिक आरोप पत्र एक सक्षम अदालत के समक्ष दायर किए गए हैं और उस अदालत ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

13. एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों की व्याख्या के लिए सख्त निर्माण के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए, जो कि एक दंडात्मक क़ानून है, हालांकि, यह अब एकीकृत नहीं है कि एक दंडात्मक प्रावधान की भी व्याख्या उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए जिसे विधायिका ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (डी) की व्याख्या इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखी थी और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

> "24. इस प्रकार अंग्रेजी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि 'लक्ष्मण रेखा' को वास्तव में व्याख्या के कड़ाई से शाब्दिक नियम से दूर हेडन के पुराने अंग्रेजी मामले के नियम तक बढ़ाया गया है, जहां न्यायालय को न्यायिक परिणाम पर पहुंचने से पहले किसी विशेष प्रावधान के उद्देश्य, उद्देश्य, पाठ और संदर्भ का सहारा लेना चाहिए। वास्तव में, पहिया पूरा चक्कर लगा चुका है। यह नियम द्वारा शुरू हुआ जैसा कि 1584 में हेडन के मामले में कहा गया था, जिसे तब 1800 के दशक के मध्य में प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित शाब्दिक व्याख्या नियम द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, और हेडन के मामले में 400 साल पहले जो सबसे अधिक सम्मानपूर्वक रखा गया था, उसके संदर्भ में नियम को कुछ हद तक दोहराने के लिए वापस आ गया है।"

14. संगठित अपराध सिंडिकेट्स द्वारा अनुबंध हत्या, जबरन वसूली, प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन का संग्रह और धन शोधन आदि जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही थी। इस तरह के संगठित अपराध को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता

महसूस की गई। सरकार ने महसूस किया कि संगठित अपराध सिंडिकेट के आतंकवादी गिरोहों के साथ संबंध हैं और वे राष्ट्रीय सीमाओं से परे मादक पदार्थों के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एम. सी. ओ. सी. ए. को संगठित अपराध को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो एम. सी. ओ. सी. ए. के उद्देश्य को आगे बढ़ाए।

<u>अतिरिक्त प्रादेशिकता और प्रादेशिक सांठगांठः</u>

15. प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि मकोका अधिनियम की धारा 1 (2) के अनुसार केवल दिल्ली के क्षेत्रों के भीतर लागू होता है। इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर एक सक्षम अदालत में दायर आरोप पत्रों को गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। मैकलियोड बनाम न्यू साउथ वेल्स के अटॉर्नी जनरल (1891) A.C. 455 में प्रिवी काउंसिल के फैसले से समर्थन मांगा गया था। उस मामले में अपीलार्थी ने न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी में मैरी मैनसन से शादी की। अपने जीवनकाल के दौरान, अपीलार्थी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसौरी राज्य के सेंट लुइस में एक अन्य महिला से शादी की। 1883 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 54 के तहत द्विविवाह के अपराध के लिए उन्हें न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी में आरोपित किया गया, मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया। धारा 54 में द्विविवाह 'जहां भी हो' के लिए सात साल की दासता का प्रावधान किया गया है। लॉर्ड हैल्सबरी, लॉर्ड चांसलर, ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी के भीतर द्विविवाह का अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया

था। न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी द्वारा बनाए गए कानून केवल उसके क्षेत्र के भीतर ही काम करेंगे।

16. मैकलियोड के मामले (ऊपर) पर ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा न्यासी निष्पादक और एजेंसी कंपनी लिमिटेड बनाम संघीय कराधान आयुक्त (1933) 49 C.L.R. 220 में विचार किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तथाकथित अतिरिक्त क्षेत्रीय आधार पर विधायी शक्ति का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यह भी माना गया कि किसी भी चुनौती दिए गए कानून में गैर-क्षेत्रीय तत्वों का मात्र अस्तित्व कानून को अमान्य नहीं करता है और यह कि कानून को अमान्य नहीं कहा जा सकता है यदि डोमिनियन की कानून द्वारा निपटाए गए मामले, चीज़ या परिस्थितियों में कुछ वास्तविक चिंता या हित है।

17. मैकलियोड के मामले (उपरोक्त) पर ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के बाद के एक फैसले में यूनियन स्टीमशिप कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम किंग (1988) 166 CLR 1 में फिर से विचार किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्षेत्र के लिए शांति, व्यवस्था और सुशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति, शुरू में, क्षेत्र के क्षेत्र तक सीमित समझी गई थी। नियोक्ता द्वारा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1926 (न्यू साउथ वेल्स राज्य अधिनियम) की धारा 46 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में मुआवजे द्वारा पारित एक निर्णय पर की गई आपत्ति को ब्रोकन हिल साउथ लिमिटेड (लोक अधिकारी) बनाम कराधान आयुक्त (न्यू साउथ वेल्स) 50 C.L.R. 337 में पहले के एक फैसले के बाद खारिज कर दिया गया था। जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" ..... लेकिन यह राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है कि वह क्षेत्र में या उससे जुड़ी किसी भी तथ्य, परिस्थिति, घटना या

चीज़ को उसमें संबंधित किसी भी व्यक्ति पर कराधान या किसी अन्य दायित्व के दायित्व के अधिरोपण का अवसर बनाए। यह विधायिका की क्षमता के भीतर भी है कि वह क्षेत्र के साथ व्यक्ति के संबंध से अधिक दायित्व को लागू न करे। संबंध में क्षेत्र के भीतर उपस्थिति, निवास, अधिवास, वहाँ व्यवसाय करना, या यहाँ तक कि दूरस्थ संबंध भी शामिल हो सकते हैं। यदि कोई संबंध मौजूद है, तो यह तय करना विधायिका का काम है कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कितनी दूर जाना चाहिए। जैसा कि अधिकार क्षेत्र या प्राधिकरण के अन्य मामलों में न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में सटीक होना चाहिए कि जिन परिस्थितियों पर शक्ति का विस्तार होता है वे मौजूद हैं और जिस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया गया है, उसकी जांच करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शक्ति के प्रयोग में परिस्थितियों की कुछ प्रासंगिकता होनी चाहिए। लेकिन वैधता के सवाल पर इसका कोई महत्व नहीं है कि लगाया गया दायित्व क्षेत्रीय संबंध के लिए पूरी तरह से असमान है या हो सकता है या इसमें ऐसे कई मामले शामिल हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।"

18. क्रिस्टोफर स्ट्रैशेम बनाम मिल्टन डेली 221 U.S. 280 (1911), (ऊपर) में, एक सवाल उठा कि क्या प्रतिवादी राज्य के बाहर किए गए अपराध के लिए मिशिगन राज्य में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी था। न्यायमूर्ति ओ. डब्ल्यू. होम्स ने अभिनिर्धारित किया कि मिशिगन राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए कृत्यों के लिए प्रतिवादी को दंडित करने में उचित है, जिनका उद्देश्य राज्य के भीतर हानिकारक प्रभाव पैदा करना था। यह माना गया था किः

"क्षेत्राधिकार के बाहर किए गए कार्य, लेकिन इसके भीतर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने और उत्पन्न करने का इरादा, राज्य को नुकसान के कारण को दंडित करने में उचित ठहराता है जैसे कि वह प्रभाव में मौजूद था, अगर राज्य उसे अपनी शक्ति के भीतर लाने में सफल हो जाए" .

19. जस्टिस होम्स के फैसले के बाद चुआ हान मो बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 730 F.2D. 1308 (1984) (p. 1312) cert. denied, 470 U.S.1031(1985) में संयुक्त राज्य अपील न्यायालयों ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मलेशिया में किए गए गैरकानूनी कृत्यों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र का अभाव है। याचिकाकर्ता के अभियोजन को वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीय और सुरक्षात्मक सिद्धांतों के तहत उचित ठहराया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता का इरादा संयुक्त राज्य में हानिकारक प्रभाव पैदा करना और ऐसे कार्य करना था जिसके परिणामस्वरूप हेरोइन को गैरकानूनी रूप से संयुक्त राज्य में लाया गया था।

20. भारतीय संघीय न्यायालय ने गवर्नर जनरल बनाम रैले इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (1944) FCR 229 में केंद्रीय विधानमंडल की अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों पर विचार किया और कहा कि विवादित कानून के प्रावधानों को विषय वस्तु के साथ डोमिनियन की चिंता या हित को देखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीयता के आधार पर दूषित नहीं किया जा सकता है। संघीय न्यायालय ने मैकलियोड (उपरोक्त) के बाद के फैसलों पर ध्यान दिया जिसमें अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून को प्रतिबंधित करने वाले सिद्धांत द्वारा लगाई गई सीमा को 'कुछ हद तक अस्पष्ट सिद्धांत' माना गया था।

21. बॉम्बे राज्य बनाम आर. एम. डी. चमरबागवाला [1957] SCR 874 (p.901) के मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या विधायिका ने अपने विधायी क्षेत्र की सीमाओं को पार किया है, जब विवादित अधिनियम राज्य के बाहर रहने और व्यवसाय करने वाले पुरुषों को प्रभावित करने के लिए था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य और याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों के बीच क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत के आधार पर, जो राज्य में नहीं हैं, विवादित विधान को विधायिका की क्षमता से परे नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने क्षेत्रीय सांठगांठ स्थापित करने के लिए दो तत्वों के अस्तित्व को मान्यता दी जो हैंः

क- संबंध वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए,

ख़ -लगाए जाने की मांग की गई देनदारियां उस संबंध के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए।

22. चमरबागवाला मामले (उपरोक्त) में लागू क्षेत्रीय सांठगांठ का सिद्धांत, जो क्रॉसवर्ड प्रतियोगिताओं पर कर से संबंधित था, को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [1958] SCR 1355 (p.1375) में बिक्री कर कानून तक विस्तारित किया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि क्षेत्रीय सांठगांठ का सिद्धांत जो आयकर कानून में लागू किया गया था, उसे बिक्री कर कानून तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस व्यापक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया कि क्या सांठगांठ का सिद्धांत, विधान के सिद्धांत के रूप में, सभी प्रकार के विधानों पर लागू होता है। क्षेत्रीय सांठगांठ के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम चारूसिला दासी (1959) Supp. 2 SCR 619 में भी लागू किया गया था जो न्यास की संपत्तियों से संबंधित था।

23. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून को प्रतिबंधित करने वाले सिद्धांत-जैसा कि मैक्लोएड के मामले (ऊपर) में माना गया था, को बाद में कुछ हद तक अस्पष्ट माना गया था। संप्रभु राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्रीयता के आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता है जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों से स्पष्ट है। यही सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विधानों पर लागू किया गया था। सिविल या आपराधिक कानूनों पर उपरोक्त सिद्धांत के लागू होने के बीच कोई अंतर नहीं है।

24. वर्तमान मामले में, यह जांच करने के लिए पर्याप्त है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य और दिल्ली राज्य के भीतर सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों के बीच कोई क्षेत्रीय सांठगांठ है, जहां प्रत्यर्थियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत प्रत्यर्थियों के अभियोजन को अतिरिक्त क्षेत्रीयता के आधार पर अमान्य नहीं कहा जा सकता है यदि सांठगांठ पर्याप्त रूप से स्थापित है।

25. संगठित अपराध जो एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है, का अर्थ है आर्थिक लाभ के लिए बल या हिंसा के उपयोग द्वारा की गई निरंतर गैरकानूनी गतिविधि। एक प्रासंगिक पूर्व शर्त जिसे किसी भी गतिविधि को निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में माने जाने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, वह यह है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ कम से कम दो आरोप पत्र दायर किए जाने चाहिए और एक 'सक्षम अदालत' ने ऐसे आरोप पत्रों का संज्ञान लिया है। तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों के खिलाफ आठ आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिनमें से छह उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तरदाताओं का निवेदन, जिसे नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया गया था, यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में दायर किए गए ऐसे आरोप पत्र यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं कि क्या उत्तरदाता निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त हैं।

निम्नलिखित न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया कि केवल दिल्ली के भीतर सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम नीचे दिए गए न्यायालयों से सहमत नहीं हैं।

26. संगठित अपराध किसी विशेष राज्य तक सीमित गतिविधि नहीं है जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 2 (1) (डी) में दिखाई देने वाले "सक्षम न्यायालय" शब्दों का प्रतिबंधात्मक अध्ययन अधिनियम के उद्देश्य को बाधित करेगा। हम प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील से असहमत हैं कि विशेष न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों को ध्यान में रखना अस्वीकार्य है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मकोका को अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्यर्थियों के खिलाफ दायर आरोप पत्रों का अवलोकन, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए भरोसा किया जाता है कि उनके द्वारा संगठित अपराध किया जा रहा था, उन आरोप पत्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच स्पष्ट सांठगांठ को दर्शाता है जहां मकोका के तहत अभियोजन शुरू किया गया था। आर. एम. डी. चमरबागवाला के मामले (ऊपर) में क्षेत्रीय सांठगांठ स्थापित करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाता है। यदि एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य देश भर में गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने में लिप्त हैं, तो यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की अदालतों में दायर आरोप पत्रों और दिल्ली में दर्ज मकोका के तहत अपराध के बीच कोई संबंध नहीं है। इस तरह से, हम प्रत्यर्थियों की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में सक्षम न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि 'निरंतर गैरकानूनी गतिविधि' की परिभाषा में 'सक्षम अदालतें' केवल दिल्ली के अदालतों तक ही सीमित नहीं हैं।

अपराध स्थानीय है

27. प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने नारायणदास मंगीलाल दयामे मामले (उपरोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें बॉम्बे हिंदू विवाह विवाह निवारण अधिनियम की धारा 4 की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था। राज्य के बाहर अनुबंधित दूसरा विवाह एक द्विविवाह था और उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अमान्य था और धारा 5 के तहत कारावास के साथ दंडनीय भी बनाया गया था जो सात साल तक बढ़ सकता है। याचिकाकर्ता पर बीकानेर में दूसरी शादी करने का मुकदमा चलाया गया और उसे द्विविवाह के अपराध के लिए दोषी पाया गया। मैकलियोड के मामले (ऊपर दिए गए) के बाद मुख्य न्यायाधीश चागला ने कहा कि अपराध स्थानीय है और धारा 4 बॉम्बे विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह बाहरी प्रभाव से ग्रस्त है। यह भी माना गया कि क्षेत्रीय सांठगांठ का सिद्धांत विवाह या अपराध के मामलों में लागू नहीं होता है।

28. हमारे अनुसार, उक्त सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है वे किए गए हैं। दिल्ली के क्षेत्रों से परे उत्तरदाताओं पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। वास्तव में, आरोप पत्र दाखिल करने के अस्तित्व को केवल प्रत्यर्थियों के पूर्ववृत्त का निर्धारण करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है। प्रत्यर्थी अभी भी सक्षम न्यायालयों में मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे जहां आरोप पत्र दायर किए जाते हैं।

29. यहां तक कि अगर एक राज्य में कोई अपराध किया जाता है, तो भी आरोपी पर दूसरे राज्य में मुकदमा चलाया जा सकता है यदि उस राज्य में हानिकारक

प्रभाव पड़ता है-क्रिस्टोफर स्ट्रैशेम बनाम मिल्टन डेली (ऊपर) और उसके बाद रोचा Rocha v. United States 288 F.2d. 545 (1961) (p. 548), cert. denied 366 U.S. 948(1961) और चुआ हान मो Chua Han Mow v. United States 730 F.2D. 1308 (1984) (p. 1312) cert. denied, 470 U.S.1031(1985) में संघीय अपील न्यायालय ने अनुसरण किया। लोक अभियोजन निदेशक बनाम स्टोनहाउस [1977] 2 All ER 909) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। एक जाने-माने राजनेता, जो वित्तीय कठिनाइयों में थे, ने ऑस्ट्रेलिया में एक नई पहचान के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए डूबकर अपनी मृत्यु का अनुकरण किया। उन्होंने पाँच ब्रिटिश बीमा कंपनियों के साथ अपनी पत्नी के नाम पर एक पॉलिसी जारी करने की व्यवस्था की जो उनकी मृत्यु पर उन्हें देय होगी। मियामी में डूबने की स्थिति पैदा करने के बाद, वह नकली पासपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उन्हें इंग्लैंड प्रत्यर्पित किया गया जहां उन पर धोखाधड़ी से संपत्ति प्राप्त करने के प्रयास सहित कई अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी न्यायालयों को अपीलार्थी के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार इस आधार पर था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियुक्त के शारीरिक कृत्यों के तत्काल परिणाम इंग्लैंड में थे।

30. लॉसन बनाम फॉक्स और अन्य [1974] 1 All ER 783 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सामान्य महत्व के कानून के निम्नलिखित बिंदुओं का फैसला कियाः

> 'चाहे यह निर्णय लेने में कि क्या परिवहन अधिनियम 1968 की धारा 96 (1) और 96 (3) (ए) के तहत कोई अपराध किया गया है, ग्रेट ब्रिटेन के बाहर काम के घंटों और गाड़ी चलाने के घंटों और आराम के घंटों को ध्यान में रखना सही है, जो अगर किया जाता है या ग्रेट ब्रिटेन के अंदर लिया जाता है तो चालक के कार्य दिवस और

गाड़ी चलाने के घंटों की गणना करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।

प्रत्यर्थी/चालक को 1968 के अधिनियम की धारा 96 (1) के विपरीत एक कार्य दिवस में 10 घंटे से अधिक समय तक वाहन चलाने के अपराध के लिए और 1968 के अधिनियम की धारा 96 (3) (ए) के विपरीत 11 घंटे से अधिक कार्य दिवस के लिए माल वाहन के चालक के रूप में काम करने के लिए दोषी ठहराया गया था। प्रत्यर्थी इंग्लैंड में अपने नियोक्ता के डिपो और फ्रांस में एक गंतव्य के बीच चैनल फेरी द्वारा राउंड ट्रिप पर एक माल वाहन चला रहा था। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि जिस अवधि के दौरान उन्होंने इंग्लैंड से बाहर यानी फ्रांस में गाड़ी चलाई थी, उसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह धारणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आधारित है कि संसद, एक दंडात्मक क़ानून को लागू करते समय, जब तक कि वह इसके विपरीत सादे शब्दों का उपयोग नहीं करती है, अंग्रेजी न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर के स्थानों में कार्य करने को अंग्रेजी कानून का अपराध बनाने का इरादा नहीं रखती है, जब तक कि यह अधिनियम ऐसा न हो जिसके इंग्लैंड में हानिकारक परिणाम हों। प्रत्यर्थी पर फ्रांस में किए गए किसी भी कार्य का आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन इंग्लैंड में उस पर मुकदमा चलाने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखा गया था कि वह अपनी नौकरी के दौरान ड्यूटी पर था।

31. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय देश के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है जब ऐसे अपराधों के परिणाम देश के भीतर होते हैं। हमने इन निर्णयों का उल्लेख केवल यह समझाने के लिए किया है कि 'अपराध स्थानीय है' का सिद्धांत लागू नहीं होता है जहां हानिकारक प्रभाव किसी अन्य राज्य में होता है जो अपराधी पर मुकदमा चला सकता है। किसी भी स्थिति में, उत्तरदाताओं पर उन अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश राज्य में दायर

आरोप पत्रों का विषय हैं। जिन मामलों में दिल्ली के बाहर सक्षम न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए जाते हैं, उनकी सुनवाई उन न्यायालयों में की जाएगी और केवल प्रत्यर्थियों की पृष्ठभूमि निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी। इसलिए, प्रत्यर्थियों की ओर से यह निवेदन कि राज्य के बाहर किए गए अपराधों पर किसी भी उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के गठन के उद्देश्य से सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग या संयुक्त रूप से संगठित अपराध के कम से कम दो आरोप पत्र दर्ज किए जाने चाहिए। दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

32. हालाँकि, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के निवेदन से सहमत हैं कि दिल्ली में संगठित अपराध की गतिविधि मकोका के तहत अपराध के पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। दिल्ली में एक संगठित अपराध के अभाव में, आरोपी पर दिल्ली के बाहर दायर आरोप पत्रों के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

33. एफ. आई. आर. संख्या 122/2010 आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 341,506 के तहत दर्ज की गई है। आई. पी. सी. की धारा 341 अधिकतम एक महीने की सजा के साथ दंडनीय है, हालांकि यह संज्ञेय अपराध है। आई. पी. सी. की धारा 506 एक गैर-संज्ञेय अपराध है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा संज्ञेय अपराध बना दिया गया था। इस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13.01.2003 पर रद्द कर दिया था। इसी उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 31.03.2004 पर एक दूसरी अधिसूचना जारी की गई थी जिसे W. P. में चुनौती दी गई थी। (ग) 2007 का No.2596। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुरू में रोक लगा दी और अंततः 18.01.2016 पर दूसरी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस प्रकार, आई.

पी. सी. की धारा 506 एफ़. आई. आर. दर्ज करने और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख पर एक गैर-संज्ञेय अपराध था। केवल एक गैरकानूनी गतिविधि जो तीन साल या उससे अधिक की न्यूनतम सजा के साथ दंडनीय एक संज्ञेय अपराध है, अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत एक निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होगी। अतः एफ. आई. आर. सं. 122/2010 को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

33. एफआईआर संख्या 122/2010 आईपीसी की धारा 341, 506 सहपठित धारा 34 के तहत दर्ज है। आईपीसी की धारा 341 में अधिकतम एक महीने की सजा का प्रावधान है, हालांकि यह संज्ञेय अपराध है। आईपीसी की धारा 506 गैर-संज्ञेय है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। इस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13.01.2003 को रद्द कर दिया था। इसी उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 31.03.2004 को दूसरी अधिसूचना जारी की गई थी जिसे WP (C) संख्या 2596/2007 में चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुरू में रोक लगा दी और अंततः 18.01.2016 को दूसरी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस प्रकार, एफआईआर दर्ज होने और आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि पर आईपीसी की धारा 506 एक गैर-संज्ञेय अपराध थी। केवल एक गैरकानूनी गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम तीन साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, वह अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत निरंतर गैरकानूनी गतिविधि होगी। इसलिए, एफआईआर संख्या 122 /2010 को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

34. एफ़. आई. आर. No.69/2007 सुधीर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी, जो माना जाता है कि प्लॉट No.103, साकेत नगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का निवासी है। वह एक राजनेता और एक व्यवसायी हैं और जब वे दिल्ली की यात्रा पर थे, तो उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा उनकी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता

के कारण धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्थियों की अवैध गतिविधियों से संबंधित कई तथ्यों का उल्लेख प्राथमिकी में किया गया है। सुधीर सिंह ने उत्तरदाताओं द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में रूपये 50 लाख के भुगतान के लिए जबरन वसूली की शिकायत की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि सुधीर सिंह के मोबाइल फोन पर जो कॉल किया गया था, वह वाराणसी के एक पी. सी. ओ. का था। एफ. आई. आर. संख्या 69/2007 में एफ. आई. आर. और आरोप पत्र को बारीकी से पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर संगठित अपराध से संबंधित कोई आपराधिक गतिविधि नहीं थी और दिल्ली में सूचना देने वाले द्वारा शिकायत केवल मकोका लागू करने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। हमने आरोप पत्र सहित अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की पूरी तरह से जांच की है और पाया है कि दिल्ली में प्रत्यर्थियों की किसी भी संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। हमने श्री सिद्धार्थ लूथरा को दिल्ली में प्रत्यर्थियों द्वारा संपत्ति के कब्जे से संबंधित रिकॉर्ड से कुछ भी दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद, श्री लूथरा ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उत्तरदाताओं के पास दिल्ली में किसी भी संपत्ति का कब्जा नहीं है। चूंकि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थियों द्वारा कोई संगठित अपराध नहीं किया गया है, इसलिए मकोका के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई कारण नहीं है।

35. अपील का निपटारा इस प्रकार किया जाता हैः -

(क) मकोका की धारा 2 (घ) में 'सक्षम न्यायालय' शब्द दिल्ली के न्यायालयों तक ही सीमित नहीं हैं और अन्य राज्यों के न्यायालयों में दायर आरोप पत्रों को निरंतर गैरकानूनी गतिविधि के गठन के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है।

(ख) दिल्ली के भीतर किए जा रहे संगठित अपराध के बिना मकोका के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है; और

(ग) उच्च न्यायालय के फैसले को अलग-अलग कारणों से बरकरार रखा जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।